कार्यालय गन्ना विकास परिषद/समिति ....

पत्रांक......................../निर्माण   दिनांक ....

निविदा सूचना

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति ....द्वारा गन्ना विकास विभाग एवं लोक निर्माण विभाग में 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रतिषत दर पर मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं–

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	लागत लाख रू.में	धरोहर धनराषि लाख रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य़ निविदा का मूल्यवैट सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री/सचिव, गन्ना विकास परिषद/समिति का पता	जिला गन्ना अधिकारी का पता	जिला अधिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैं:–

1– प्रत्येक कार्य के पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका के कालम 7 में दर्षायी गयी है।

2– निविदा की वैघता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन तक होगी। वैघता की अवधि मे निविदा को वापस नही लिया जायेगा।

3– निविदा प्रपत्र सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के कार्यालय से आवष्यक मूल्य देकर प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्हन से 4.00 बजे अपरान्ह तक दिनांक..................से................तक नकद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्रॉफट जो मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति .... जनपद .... के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा से क्रय की जा सकती है। इच्छुक निविदाकर्ता अधिक जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त धनराषि रूपये 200.00 देकर प्राप्त की जा सकती है तथा इसके लिये दिनांक.......सायं 4.00 बजे तक अनुरोध स्वीकार किया जायेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी डाक से देरी के लिये जिम्मेदार नही होगें। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट ूण्नचबंदमण्वतह से भी डाउनलोड की जा सकती है और इसकी लागत कॉलम 06 के अनुसार डिमांड ड्राफॅट के रूप में जो कि मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति ....के पक्ष में देय होगा, आवष्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की स्थिति में कार्य की ड्राईंग सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति .... (जैसा कि कॉलम 8 में दर्षाया गया है) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

4– डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र एवं मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति .... के कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र में कोई अन्तर होने पर मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय का प्रपत्र ही मान्य होगा।

5– निविदा प्रपत्र सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति एवं संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रेट) के कार्यालय में दिनांक.............के अपरान्ह को 12.00 बजे तक जमा किये जा सकते है जिनको उसी दिन 04.00 बजे अपरान्ह को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जैसा कि कॉलम 10 में वर्णित है, इच्छुक निविदाकर्ता की

उपस्थिति में खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा प्राप्त करने एवं खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाष घोषित होता है तो निविदा प्राप्त एवं खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल, खोलने के समय तथा वैधता में कोई परिवर्तन नही होगा। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

6– निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराषि संलग्न होनी चाहिये। धरोहर धनराषि एन.एस.सी. अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ.डी.आर. के रूप में होनी चाहिये, जो कि मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति .... जनपद............के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नही होगी। अनु. जाति/ज. जाति के पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर धनराषि शा.सं. 3460/23.07.08–41 एम.एस.ए./54 टी.सी.–।।। अनुभाग–7 दिनांक 28.07.08 के अनुपालन में अनुमानित लागत (कॉलम–4) का 2: ही संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7– कोई निविदाकर्ता कार्यदायी परिषद/समिति, जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय आदि में जहां उनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी का निकट संबंन्धी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) लेखाकार तथा अन्य पद पर कार्यरत हो अथवा अवर अभियन्ता, मंत्री, सहायक अभियन्ता, जिला गन्ना अधिकारी, अधिषासी अभियन्ता, उप गन्ना आयुक्त एवं अधीक्षण अभियन्ता आदि कार्य करने के योग्य नही होंगे। निविदाकर्ता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके संबन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी परिषद एवं उससे संबन्धित कार्यालय में कार्यरत हो।

8– कोई भी राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रषासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवा निवृत्त अवधि के 02 वर्ष तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लियें प्रतिबन्धित होगे। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तो या ठेकेदार के साथ काम करना शुरू कर दिया है तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

9– निविदा से सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग, विषिष्टियां, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को संबन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम 08 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11.00 बजे से अपरान्हन 4.00 बजे तक दिनांक.............से................ ..तक देखा जा सकता है। कोई भी निविदा कर्ता जिसका आपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित है।

10–निविदादाता को यह परामर्ष दिया जाता है कि वो निर्माण कार्यो के सवाल देख ले और यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होने कार्यक्षेत्र, स्थानीय दषाओं रेखाचित्र, विषेष विवरणों, संविदा शर्तो आदि से परिचित कर लिया है।

11–ऐसे निविदाकर्ता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नही होंगे)

12–निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेंट निर्धारित प्रपत्र (सीडीडी–टी–4, सीडीडी–टी–5, सीडीडी–टी–6) में प्रत्येक निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेंगी।

13–कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार बिकी कर आयकर लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करों की कटौती की जायेगी।

14–कार्य की मात्रायें घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

15–निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

16–निविदा प्रपत्रों के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में षपथ–पत्र भी देना होगा।

17–अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

18–षासनादेष संख्या 622/23.12.2012–02 आडिट/08, टी.एस.–02, दिनांक 08.06.2012 के आदेषानुसार प्रतिषत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराषि निम्न प्रकार देय होगा।

(क)– 10 प्रतिषत कम दर पर 0.50 प्रतिषत प्रति 1.00 प्रतिषत कम दर पर।
(ख)– 10 प्रतिषत अधिक दर पर 1.00 प्रतिषत प्रति 1.00 प्रतिषत कम दर पर।

19–गन्ना आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी निर्देषों/आदेषों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20–विभाग को बिना कारण बताये किसी अथवा समस्त निविदा को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

21–निविदा से सम्बन्धित ठेकेदारों हेतु अनुदेष एवं अनुबन्ध की शर्ते आदि कार्यालय में देखी जा सकती है।

अवर अभियन्ता,
गन्ना विकास परिषद/समिति
परिषद/समिति,
....

मंत्री/सचिव,
गन्ना विकास
....

कार्यालय गन्ना विकास परिषद/समिति,............., जनपद ....।

पत्रांक............................./निर्माण   दिनांक ....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मंत्री, गन्ना चिकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, जनपद ....।

2– समस्त अवर अभियन्ता, गन्ना विकास परिषद/समिति, जनपद................,।

3– समस्त सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, परिक्षेत्र.................।

4– समस्त जिला गन्ना अधिकारी, परिक्षेत्र..............।

5– अधीक्षण अभियन्ता/अधिषासी अभियन्ता, परिक्षेत्र.................।

6– संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र..................।

7– अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,.............को इस अनुरोध के साथ कि कृपया लो. नि.वि. के अन्य खण्डों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

8– जिला पंचायत,................।

9– नगर पालिका....................।

10–उप निदेषक मण्डी................।

11–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त तिथि को आवष्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12–नामित अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी.................।

13–जिलाधिकारी, ...।

14–मुख्य अभियन्ता, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

15–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मंत्री/सचिव,
गन्ना विकास
परिषद/समिति,
....